न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / 02 / 2022

1. राजेन्द्र सिहं
2. लोकेश सिहं } पुत्रान छिद्दा सिहं
3. करतार सिहं
4. केशर सिहं पत्नि छिद्दा सिह

जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम जाटौली घना तहसील व जिला भरतपुर (राज0)

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार भरतपुर
2. सचिव, नगर सुधार न्यास भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार भरतपुर नामा0 सं0 686 दिनांक 09.03.2021 बाबत् आराजी खसरा नम्बरान 770, 774, 775, 780, 782, 783 वाके ग्राम जाटौली घना तहसील भरतपुर

उपस्थितः—

1. श्री उदयवीर सिहं कसाना अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. पैरोकार सरकार रेस्पो0 सं0 —1
3. रेस्पो0 सं0 —3 अनुपस्थित

आदेश **दिनांक 24.01.2025**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर नामान्तकरण संख्या 686 दिनांक 09.03.2021 वाके ग्राम जाटौली घना तहसील भरतपुर पेश की गई है। उक्त आदेश नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो. की तलबी की गई। तहत पत्रावली तलबी की गई है। तहसीलदार भरतपुर से पत्रांक एल.आर./722 दिनांक 10.2.2022 से तहत पत्रावली/नामा0 रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसिल की गई। रेस्पो. न.1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित, रेस्पो. न. 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं। अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि हाल आराजी खसरा नम्बरान 770/1.0700, 774/0.2500, 775/0.5800, 780/0.2600, 782/0.2600, 783/0.1800, 784/0.3100 कुल किता 9 कुल क्षेत्रफल 3.1100 हैक्ट. वाके ग्राम जाटौली घना तहसील भरतपुर जिला भरतपुर में स्थित है जिसमें अपीलान्ट मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी खातेदार दर्ज होकर काबिज आराजी है काश्त कर रहे है। अपीलान्ट का यह भी कहना है कि अपीलाट्स को बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई समुचित सूचना दिए आपस में साज करते हुए रेस्पो0 सं0 1 ने रेस्पो. सं0 2 के हक में विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। वकील अपीलान्ट का यह भी कहना है कि अपीलान्ट्स की खातेदारी के नम्बरान (मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी) का मुआवजा राशि एवं पट्टे आज दिनांक तक नहीं दिया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार सरकार ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण नगर विकास न्यास के आदेश की पालना में दर्ज किया जाकर तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकार किया गया है। जिसमें तहत न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है। पैरोकार सरकार का यह भी कहना है कि अगर अपीलान्ट को कोई ऐतराज था तो उसे नगर सुधार न्यास के आदेश के खिलाफ में सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 686 दिनांक 09.03.2021 वाके ग्राम जाटौली घना तहसील भरतपुर का अवलोकन किया गया। नामान्तरण पर अंकित नोट के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह नामान्तकरण नगर विकास न्यास भरतपुर के आदेश दिनांक 24.12.2020 की पालना में दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। तहसीलदार भरतपुर ने नगर विकास न्यास के आदेश की पालना की है। जिसमें उसने कोई त्रुटि नहीं की है। अगर अपीलान्ट को कोई ऐतराज था तो उसे नगर विकास न्यास भरतपुर के उक्त आदेश के खिलाफ सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर